भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 389

दिनांक 19 नवम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

विषयः मत्स्यपालन की योजनाएं

389. डॉ. रामशंकर कठेरियाः

श्री रवि किशनः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मत्स्यपालन में कार्यरत किसानों के हित में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनओं के माध्यम से लाभान्वित लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आने वाले वर्षों में कोई योजना तैयार किए जाने की संभावना है जिसके माध्यम से छोटे मछली पकड़ने वाले किसानों को मत्स्यपालन से जोड़ा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन एंव डेयरी राज्यमंत्री

(श्री प्रताप चंद्र सारंगी)

(क) और (ख) जी हाँ. मात्स्यिकी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2015-2016 से देश में मात्स्यिकी के विकास के लिए विशेषकर किसान उत्केन्द्रित गतविधियों के साथ नीली क्रांतिः मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन पर आधारित केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। जिसका कुल केन्द्रीय परिव्यय 3000 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है (i) आर्थिक समानता के लिए धारणीय और दायित्वपूर्ण ढ़ग से समग्र मछली उत्पादन में वद्धि करना। (ii)नवीन प्रोद्योगिकी पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर मात्स्यिकी सैक्टर को आधुनिक बनाना (iii) देश में खाद्य और पोषणीयता सुरक्षा को सुनिश्चित करना(iv) रोजगार और निर्यात आय का सृजन करना (v) मछुआरों और जलकृषि किसानों का सशक्त करके उनका विकास सुनिश्चित करना।

मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मात्स्यिकी विभाग ने वर्ष 2018-19 में कुल 7522.48 करोड़ की निधि से एक मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना निधि (एफ आई डीएफ) नामक एक समर्पित निधि का सृजन किया है। एफ. आई. डी. एफ. के तहत देश में मात्स्यिकी अवसंरचना विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मछुआरों और मछली किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड (के. सी. सी.) की सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

मात्स्यिकी विभाग में संकलित सैक्टर सांख्यिकी सूचना के अनुसार मात्स्यिकी सैक्टर प्राथमिक स्तर पर अन्तर्देशीय मछुआरों, समुद्री मछुआरों, मछली किसानों की 16.00 मिलियन मछुआरा जनसंख्या और इसी मूल्य श्रृंखला की लगभग दुगनी संख्या को जीविका प्रदान करता है। उपरोक्त के अन्तर्गत कवर की गई गतिविधियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से इन मछुआरों और मछली किसानों को लाभ पहुँच रहा है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त चल रही योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार ने अपने बजट 2019 में प्रधान मंत्री मत्स्यसंपदा योजना (पी एम एम एस वाई) नामक एक केन्द्रित स्कीम की उदघोषणा की है। जिसका उद्देश्य एक संतुलित मात्स्यिकी प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना करना और अवसंरचना, आधुनिकीकरण, ट्रेसेबिलिटीस, उत्पादन, उत्पादकता पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य श्रृंखला में आए क्रान्तिक अंतराल के बारे में बताना है।

******